



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276995
CG-DL-E-09102026-276995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5285]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5285]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5497(अ).— केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 क के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 1570(अ) तारीख 25 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

3. सूक्ष्म पोषक तत्वों से सम्पुष्ट एलीमेन्टल सल्फर

(i)	भार के आधार पर कुल सल्फर (S के रूप में) न्यूनतम	31.5
(ii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (Mg के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	8.0
(iii)	भार के आधार पर जिंक (Zn के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	6.0
(iv)	भार के आधार पर आयरन (Fe के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	8.0
(v)	भार के आधार पर कॉपर (Cu के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	0.5
(vi)	भार के आधार पर बोरॉन (B के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	1.15
(vii)	भार के आधार पर मैंगनीज (Mn के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	1.0
(viii)	भार के आधार पर मोलिब्डेनम (Mo के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	0.05
(ix)	भारी धातु मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, अधिकतम	
	सीसा (Pb के रूप में) अंश	30
	कैडमियम (Cd के रूप में) अंश	25
	आर्सेनिक (As ₂ O ₃ के रूप में) अंश	25
(x)	कण का आकार: सामग्री का 75 प्रतिशत भाग 0.150 mm के भारतीय छलनी साइज़ पर रुकना चाहिए।	
(xi)	कण का आकार (D100)	<20 µm जल में विसर्जन का
(xii)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	3.0"

[फा. सं. 4-76/2026-उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5497(E).— In pursuance of clause 20 A of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary Part -II, section 3, sub-section (i), vide number S.O. 1570 (E) dated the 25th March, 2026, namely:-

In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“3. Elemental Sulphur fortified with Micronutrients

S.No.	Parameters	Requirement
(i)	Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum	31.5
(ii)	Magnesium (as Mg) per cent. by weight, minimum	8.0
(iii)	Zinc (as Zn) per cent. by weight, minimum	6.0
(iv)	Iron (as Fe) per cent. by weight, minimum	8.0

(v)	Copper (as Cu) per cent. by weight, minimum	0.5
(vi)	Boron (as B) per cent. by weight, minimum	1.15
(vii)	Manganese (as Mn) per cent. by weight, minimum	1.0
(viii)	Molybdenum (as Mo) per cent. by weight, minimum	0.05
(ix)	Heavy metal mg/Kg, maximum	
	Lead (as Pb) content	30
	Cadmium (as Cd) content	25
	Arsenic (as As ₂ O ₃)content	25
(x)	Particle Size	Minimum 75% retained on 0.150 mm sieve
(xi)	Particle size (D100)	≤20 µm of dispersion in water
(xii)	Moisture Content per cent. by weight maximum	3.00”.

[F. No. 4-76/2026 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.